हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह शिमला–171002 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2013

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत आडिट पैरों पर की गई कार्रवाई के सत्यापनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–10	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाई गई)
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5	निर्णीत	(यथोपरि)
4	पैरा–6	निर्णीत	(यथोपरि)
5	पैरा–7	निर्णीत	(यथोपरि)
6	पैरा–8	निर्णीत	(यथोपरि)
7	पैरा–9	निर्णीत	(यथोपरि)
8	पैरा–10	निर्णीत	(यथोपरि)
9	पैरा–11	निर्णीत	(यथोपरि)
10	पैरा–12	निर्णीत	(दिये के उतर के आधार पर निर्णीत)
11	पैरा–13	निर्णीत	(₹747 की वसूली सत्यापन उपरान्त निर्णीत)
12	पैरा–14	निर्णीत	(सत्यापन उपरान्त निर्णीत)
13	पैरा–15	निर्णीत	(यथोपरि)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के अवधि 4/2012 से 3/2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 5.10.13 से 2.11.13 के दौरान हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के कार्यालय में किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 3/2013 तथा व्यय के लिए 2/13 का चयन किया गया।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

सचिवालय जलपान गृह के अवधि 4/2012 से 3/2013 के लखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹9600/–आंका गया परन्तु उक्त संस्था द्वारा गत अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/13 के लेखों के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹9600/– के स्थान पर ₹11400/– जमा किया गया था। अतः इस प्रकार संस्था द्वारा गत वर्ष में अंकेक्षण शुल्क के रूप में ₹1800/–अधिक जमा करवाई गई थी जिसका समायोजन वर्तमान अंकेक्षण शुल्क से करते हुए बकाया अंकेक्षण शुल्क की ₹7800/– को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को भेजने हेतु लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 12 दिनांक 29.10.13 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित सचिवालय जलपान गृह के वर्ष 2012–13 के लेखों की वित्तीय स्थिति, का पूर्ण विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क" व "ख"** पर संलग्न है।

5 सहायता अनुदानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वेतन व भत्तों की पूर्ति हेतु उक्त संस्था को सहायता अनुदान की राशि दी जाती है। **परिशिष्ट "ग–1" तथा "ग–2"** के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष 2012–13 में हिमाचल प्रदेश सरकार से ₹7568724/– का अनुदान प्राप्त किया गया जिसमें से वर्ष 2012–13 के लिए ₹218724/– का सहायता अनुदान पूर्व मे ही अग्रिम शेष के रूप में प्राप्त कर लिया गया था। इस प्रकार वास्तव में सचिवालय जलपान गृह द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹7350000 का सहायता अनुदान सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त हये। उक्त सहायता अनुदान के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार प्राप्त हुई ₹7350000/– के विपरीत सचिवालय जलपान गृह द्वारा वितीय वर्ष 2012–13 में स्टाफ के वेतन इत्यादि के व्यय पर ₹9118738/– खर्च की गई। इस प्रकार वर्ष 2012–13 में ₹1550013/– का अधिक व्यय किया गया जोकि सचिवालय जलपान गृह द्वारा अन्य स्त्रोतों में दायित्व का सर्जन करके किया गया प्रतीत होता है। अतः सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से स्टाफ के वेतन, भत्तों इत्यादि पर अधिक व्यय की गई ₹1550013/– की भरपाई हेतु मामला हिमाचल प्रदेश सरकार से उठाया जाये और नियमानुसार अधिक किये गये व्यय की भरपाई सरकारी अनुदान सहायता से की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 ₹252216/–की सम्पति की खरीद के बारे में:–

परिशिष्ट "घ" के अनुसार वर्ष 2012–13 में ₹25216/–की सम्पत्ति की खरीद की गई दर्शाई गई है। यह राशि गत वर्षों के तुलन पत्र में दर्शाए गए अधिक्य के व्यय से की गई थी।

7 ₹1014216.75 की लेनदारी के रूप में शेषः–

दिनांक 31.3.2013 को सचिवालय जलपान गृह द्वारा विभिन्न विभागों से ₹1014216.75 लेने हेतु शेष थी जिस का विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर दिया गया है। इस राशि में ₹123524/–अन्य लेनदारों से प्राप्ति योग्य दर्शाइ गई ह जिसका विस्तृत एवं पूर्ण विवरण उक्त परिशिष्ट में नहीं दिया गया है। अतः अन्य देनदारों से प्राप्त योग्य राशि का पूर्ण ब्यौरा दिया जाए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य लेनदारों में कुछ ऐसे लेनदार है जिनसे पिछले कई वर्षों से राशियां की वसूली की जानी बकाया है परन्तु सचिवालय जलपान गृह द्वारा इन लेनेदारों से वसूली के लिए गम्भीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष अन्य लेनदारों की राशियों में बढ़ौतरी हो रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त

राशि का ब्यौरा देने के अतिरिक्त इसकी वसूली करने हेतु यथाशीध्र कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त जलपान गृह सचिवालय के लेनदारों के खातों के टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि जलपान गृह द्वारा लेनदारों के खातों को उचित ढ़ंग से तैयार नहीं किया गया है जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि लेनदारों के खाते में जो प्रविष्टियॉ की गई है वह सही है क्योंकि कुछ लेनदारों के खातों में "Contra Entry" की गई दर्शाई गई है तो वही अन्य अन्य के खातों में पहले गलत खाते में प्रविष्टी दर्शाकर उसे पुनः ठीक किया गया है। इस प्रकार लेनदार के खातों में स्वच्छ रूप से तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 "Warm Clothing Advance" एवं स्टॉफ की बकाया ₹6555/–के बारे में:–

परिशिष्ट "च" के अनुसार दिनांक 31.3.13 को विभिन्न कर्मचारियों से "Warm Clothing Advance" की ₹6555/–तथा श्री केशव शर्मा सहायक मैनेजर से वसूली योग्य ₹30 शेष दर्शाई गई है। अतः इस राशि की यथासमय वसूली करके अनुपालना में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 ₹1936766/–देनदारी के रूप में शेष दर्शानाः–

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के लेखाओं के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को ₹1936766/–देनदारियों के रूप में शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में सलग्न है। उक्त दर्शाई गई देनदारी में से सप्लायरस को देने के लिए ₹1798471/–बकाया थी जिसका भुगतान शीध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को देय ₹233243.36 के बारे में:–

परिशिष्ट "ज" के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के विभिन्न यूनिटों को ₹233243.36 देनदारी के रूप के शेष दर्शाई गई है। अतः उक्त देनदारी का सम्बन्धित यूनिटों में मिलान करके इनका भुगतान सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत करना सुनिश्चित किया जाए।

11 श्री केशव शर्मा सहायक प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश जलपान गृह को ₹11000/– का मानदेय के रूप में अनियमित भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सचिवालय के जलपान गृह को पयटक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा "No profit No Loss" के आधार पर सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खान पान की सुविधा के लिए चलाया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 10.3.2011 को अतिरिक्त सचिव सचिवालय की प्रशासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव पारित करके श्री केशव शर्मा सहायक प्रबन्धक जलपान गृह को अप्रैल, 11 से ₹500 प्रतिमाह के हिसाब से दिनाक 31.3.2013 तक मानदेय की ₹11000/–का भुगतान किया गया। अतः जब सचिवालय के जलपान गृह को "No Profit No Loss" के आधार पर चलाया जा रहा है तो सहायक प्रबन्धक को मानदय देने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से करके आगामी अंकेक्षण में दिखायी जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि श्री केशव शर्मा को उपरोक्त भुगतान गत वर्ष के आधिक्य से अनियमित रूप से राशि का समायोजित करके/घटाकर किया गया है जोकि एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि यदि नियमानुसार उन्हें यह भुगतान किया भी जाना होता तो भी यह भुगतान ष्प्दबवउम – म्ाचमदकपजनतमष में दर्शाकर किया जाना वांन्छित था। अतः अनुचित प्रक्रिया अपनाकर किए गए उक्त भुगतान के कारण स्पष्ट किए जाएं।

12 बैंक समाधान विवरणी में असमायोजित चैकों के बारे मेंः–

अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.13 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में अन्तशेष के रूप में ₹51859.68 तथा हिमाचल प्रदेश को–ओप्रेटिव बैंक में अन्तशेष के रूप में ₹52799.68 दर्शाई गई है तथा **परिशिष्ट "झ–1" तथा "झ–2"** में दिए गए विवरण के अनुसार इन बैंकों खातों में चैकों की कुछ असमायोजित राशियां भी पाई गई। तदानुसार संस्था द्वारा इन खातों से सम्बन्धित समाधान बैंक विवरणी तैयार की गई। अतः इन असमायोजित चैंकों को समायोजित करके तथा रोकड़ वही के अन्तशेष तथा बैंक के खातों सें अन्तशेष का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 ₹264/–का अधिक भुगतानः–

सचिवालय जलपान गृह द्वारा श्री रूप सिंह यूटिलिटी वर्कर को दिनांक 1.7.2012 को वार्षिक वृद्धि प्रदान की गई। उक्त वेतन वृद्धि के निर्धारण के दौरान सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टि के उपरान्त उनका वेतन ₹8310+₹1650/–निर्धारित करना अपेक्षित था जबकि उनका

वेतन ₹8320+₹1650/– निर्धारित किया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार ₹264/–का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी वसूली की जाए तथा सेवा पंजिका में वेतन निर्धारण संशोधित प्रविष्टी की जाये और अनुंपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

	देय भुगतान			किया गया भुगतान				
अवधि	**मूल वेंतन+ ग्रेड पे**	**मंहगाई भत्ता**	**कुल राशि**	**मूल वेतन+ ग्रेड पे**	**मंहगाई भत्ता**	**कुल राशि**	**अन्तरxमाह**	**अधिक भुगतान**
1.7.12 से 31.12.12	8310+1650 9960	7171	17131	8320+1650 9970	7178	17148	17x6	102
1.1.13 से 30.6.13	8310+1650 9960	7968	17928	8320+1650 9970	7976	17946	18x6	108
1.7.13 से 30.9.13	8610+1650 10260	8208	18468	8620+1650 10270	8216	18486	18x3	54
					कुल अधिक अन्तशेष			**₹264**

14 चिकित्सक द्वारा Prescribe करने से पूर्व ही दवाईयों की खरीद करने बारे:–

वाउचर संख्या 95, माह 2/13 द्वारा जलपान गृह में तैनात कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का ₹23097/– का भुगतान किया गया जिनकी जांच करने पर पाया गया कि श्री सत्यपाल यूटिलिटी वर्कर को चिकित्सा द्वारा 22.12.12 को दवाईयॉ लिखी गई थी तथा सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निम्न विवरणानुसार यह दवाईयॉ 17.12.12 को ही खरीद ली गई थी।

दवाईयों का नाम	राशि	फर्म का नाम एवं कैश मैमों नं0
ज्ंइण्वसिवदव्र	91	।चदं डमकपबंस ैजवतम बेवजजं ैपउसं ब्ण्डण् छवण्
ज्ंइणीलेमत क	85	21756
ब्वण् त्मबवदपं.ळ	65	
1ग500उस ब्वचेम ठत	55	
ज्वजंस	296	

अतः चिकित्सक द्वारा Prescribe करने से पूर्व ही दवाईयों की खरीद करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त कर्मचारी से ₹296/– की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 आर0टी0जी0एस0 के अन्तर्गत लेनदारों से सीधे बैंक के खातों में प्राप्त भुगतानों का मिलान सम्बन्धित विभागों/लेनदारों से न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न लेनदारों/विभागों द्वारा सचिवालय जलपान गृह के बिलों का भुगतान आर0टी0जी0एस0 द्वारा सीधे जलपान गृह सचिवालय के बैंक खातों में जमा करवाया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में लेनदारों/विभागों द्वारा कोई सूचना जलपान गृह को नहीं दी गई जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित करना अत्यन्त कठिन था कि विभिन्न लेन दारों/विभागों द्वारा किस–2 बिलों का भुगतान जलपान गृह को किया। अतः सुझाव दिया जाता है कि जलपान गृह के खातों में जा भुगतान आर0टी0जी0एस0 द्वारा सीधे बैंक खातों में जमा हो रहे है उनका मिलान सम्बन्धित लेनदारों/विभागों से करना सुनिश्चित किया जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि विभागों द्वारा किन–2 बिलों का भुगतान प्राप्त हो गया है और किन–2 बिलों का बकाया में है।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

17 निष्कर्षः– लेखाओं के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)92/85 खण्ड–10,दिनांक 22.02.2014, शिमला–171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित शिमला–1 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर इस विभाग एक माह के भीतर प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।
2. प्रबन्धक, सचिवालय जलपान गृह, शिमला–171002
3. उप सचिव (एस0ए0डी0)हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
4. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.